संख्या 316 /उन्तीस(2)/12–2(53पे0)/2010

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 20 मार्च, 2012

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में गुरूत्व नगरीय पेयजल योजना के रखरखाव हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय व्यय की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यायल के पत्र संख्या 5731/वि0अनु0/02/अनुदान/2011–12 दिनांक 21.10.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य सैक्टर के नगरीय पेयजल योजनान्तर्गत 19 गुरूत्व नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु ₹ 300.00 लाख (₹ तीन करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नविवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0सं0	जनपद	शाखा का नाम	योजना की संख्या	धनराशि
01	02	03	04	05
01	चमोली	चमोली	06	50.00
02	रूद्रप्रयाग	रूद्रप्रयाग	02	30.00
03	पौड़ी	कोटद्वार	01	10.00
04	टिहरी	टिहरी	03	20.00
05	उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	02	30.00
06	पिथौरागढ़	डीडीहाट	02	30.00
07	चम्पावत	चम्पावत	01	10.00
08	देहरादून	देहरादून	01	50.00
09	नैनीताल	हल्द्वानी	01	70.00
	योग :–		19	300.00

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रभारी मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत कर आहरित कर व्यय की जायेगी।

3– स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2012 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

.....2

4– कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापित न किया जाय। व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जाय।

7– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

8– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

9– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 एवं निर्माण एजेन्सी के विषय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2215–जलापूर्ति तथा सफाई–01–जलपूर्ति–आयोजनागत–101–शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–05–नगरीय पेयजल–07–नगरीय पेयजल योजनाओं के रखरखाव (2215–01–101–05–01 से रख–रखाव हेतु)–20–सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता" के नामे डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 43/XXVII(2)/2012 दिनांक 19 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
अपर सचिव

पृ0सं0 316(j) /उन्तीस(2)/12–2(53पे0)/2010 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।

.....3

6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2/वित्त (बजट सैल)/राज्य योजना आयोग उत्तराखण्ड।
8. बजट अधिकारी (बजट निदेशालय), उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
11. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव